यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम लोटिया में जमाबंदी संवत 2074-77 के ख.नं. 196, 198 में कर्णसिंह दत्तक पुत्र मोहरसिंह हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 ढाणी ढाका माण्डी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि संलग्न दस्तावेज में एवं दिनांक 27.5.1986 को उप पंजीयक बुहाना द्वारा गोदपत्र पंजीबद्व किया गया है जिसमें मोलूराम पुत्र गीदाराम जाति जाट नि ढाका माण्डी द्वारा मोहरसिंह पुत्र बालूराम के पुत्र कर्णसिंह को गोद लेकर गोपत्र पंजीबद्व करवाया गया है। भोलारा के फौत होने पर राजस्व ग्राम लोटिया में नामा. संख्या 65 में कर्णसिंह द.पु. मोहरसिंह अंकित किया गया है जबकि यहां पर कर्णसिंह दत्तक पुत्र भोलाराम दर्ज होना चाहिए था। जमाबन्दी संवत 2048-51 के खाता संख्या 76 पर सुर्ख लाल स्याही से कर्णसिंह द.पु. मोहरसिंह नोट लगा हुआ है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड आदि में कर्णसिंह पुत्र भोलाराम दर्ज है।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकाॅर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम लोटिया में जमाबंदी संवत 2074-77 के ख.नं. 196, 198 में कर्णसिंह दत्तक पुत्र मोहरसिंह के बजाय कर्णसिंह दत्तक पुत्र भोलाराम नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकाॅर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.04 16:39:20 IST
Reason: SelfAttested